कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

पूर्ववर्ती ग्रामीण आवास योजनाओं की कमियों को दूर करने के लिए एवं वर्ष 2022 तक 'सभी के लिए आवास' प्रदान करने के भारत सरकार की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए, इंदिरा आवास योजना का प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के रूप में पुनर्गठन (नवंबर 2016) किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे एवं जीर्ण-शीर्ण आवासों में रहने वाले परिवारों एवं समस्त आवासहीन परिवारों को वर्ष 2022 तक, बुनियादी सुविधाओं के साथ एक पक्का आवास प्रदान करना था। इसकी समय सीमा मार्च 2024 तक बढ़ा दी गई थी।

उत्तर प्रदेश में, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत मार्च 2024 तक 36.15 लाख आवासों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था। आवास निर्माण के लिए लाभार्थियों को ₹1.20 लाख की वित्तीय सहायता का भुगतान, आवास निर्माण की प्रगति से जुड़ी हुई तीन किश्तों में किया जाना था। आवासीय इकाई की सहायता लागत को भारत सरकार और राज्य सरकार के मध्य 60:40 के अनुपात में वहन किया जाना था। योजना के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व, राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग को सौंपा गया था।

'उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन' पर निष्पादन लेखापरीक्षा, अप्रैल 2017 से मार्च 2023 तक की अवधि के लिए की गई ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान एवं चयन योजना के दिशानिर्देशों के अनुरूप था; निधियों का आवंटन एवं निर्गमन पर्याप्त एवं समयबद्ध तरीके से किया गया था; भौतिक लक्ष्यों की समय पर एवं अपेक्षित गुणवत्ता के अनुसार प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए योजना का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया गया था; बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करने के लिए अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण किया गया था; योजना की निगरानी एवं मूल्याँकन योजना के दिशानिर्देशों के अनुरूप था। राज्य सरकार से प्राप्त उत्तर (सितंबर 2024) एवं अप्रैल 2025 तक प्राप्त अतिरिक्त सूचनाओं को प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से सम्मिलित किया गया है।

निष्पादन लेखापरीक्षा में ज्ञात हुआ की वर्ष 2016-17 से 2022-23 की अवधि के दौरान, राज्य में स्वीकृत 34.71 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण आवासों में से, 34.18 लाख (98.47 प्रतिशत) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण आवासों का निर्माण मार्च 2024 तक पूर्ण कर राज्य द्वारा उल्लेखनीय प्रगति प्राप्त की गयी थी। तथापि, योजना के क्रियान्वयन में कमियाँ देखी गयीं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत लाभार्थियों की प्राथमिकता सूची सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना- 2011 के आधार पर, परिभाषित आवास अभाव मानदंडों का उपयोग करते हुए तैयार की गई थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य ने 14.47 लाख लाभार्थियों के साथ अंतिम स्थायी प्रतीक्षा-सूची प्रकाशित (मई 2016) की थी। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार ने जुलाई 2017 में, राज्य सरकार को उन परिवारों की पहचान करने की सलाह दी, जो निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत सहायता के पात्र होने के बावजूद स्थायी प्रतीक्षा-सूची से बाहर रह गए थे। विभाग द्वारा उपलब्ध (मार्च 2024) कराए गए आवासप्लस सर्वेक्षण आँकड़ों के सारांश में ऐसे परिवारों की संख्या 33.64 लाख सूचित थी, जिनमें से केवल 22.29 लाख लाभार्थियों को ही स्थायी प्रतीक्षा-सूची में अतिरिक्त रूप से सम्मिलित किया गया। सर्वेक्षण में लाभार्थियों की पहचान के पश्चात उनमें से एक बड़े हिस्से को स्थायी प्रतीक्षा-सूची से बाहर रखा जाना, या तो सर्वेक्षण में अशुद्धियों का संकेत था या फिर एकत्रित आँकड़ों में विसंगतियों के कारण, पात्र परिवारों को बाहर रखा गया था। राज्य सरकार के ग्राम्य विकास विभाग द्वारा स्वीकार किया (अक्टूबर 2023) गया था कि कई पात्र लाभार्थी त्रुटिवश स्थायी प्रतीक्षा-सूची से बाहर हो गए थे।

राज्य सरकार के द्वारा, वर्ष 2017-23 की अवधि में, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत उपलब्ध कुल ₹ 40,231 करोड़ की धनराशि में से, ₹ 37,984 करोड़ (उपलब्ध कार्यक्रम निधि का 94.41 प्रतिशत) की धनराशि आवासों के निर्माण के लिए एवं ₹ 157 करोड़ (प्रशासनिक निधि का 40 प्रतिशत) की धनराशि प्रशासनिक व्ययों के लिए उपभोग की गयी थी। राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक निधि के कम उपभोग के परिणामस्वरूप, वर्ष 2017-23 की अवधि में, ₹ 357.29 करोड़ का केन्द्रांश, कम निर्गत किया गया था। राज्य सरकार द्वारा, भारत सरकार से प्राप्त कार्यक्रम निधि के केन्द्रांश को राज्य नोडल खाते में हस्तांतरित करने में भी 74 से 105 दिनों का विलम्ब किया गया था। 79 प्रतिशत लाभार्थियों की प्रथम किश्त निर्गत किये जाने में, निर्धारित सात कार्य दिवसों से अधिक का विलम्ब हुआ। अगस्त 2024 तक, 11,031 लाभार्थियों (पूर्ण किये गए आवासों का 0.38 प्रतिशत) के प्रकरणों में ₹ 20.18 करोड़ की सहायता धनराशि निर्गत किया जाना अवशेष था, जबकि उनके प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण आवासों का निर्माण पूर्ण हो चुका था। लाभार्थियों के सत्यापन में यथोचित सावधानी न बरतने के कारण, नमूना-जाँच किए गए जनपदों में, 1,838 अपात्र लाभार्थियों को ₹ 9.52 करोड़ की धनराशि निर्गत की गयी थी, जिनमें से ₹ 2.62 करोड़ की धनराशि सितंबर 2024 तक वसूल नहीं की जा सकी थी। संदिग्ध साइबर अपराध के कारण, 159 लाभार्थियों

के प्रकरण में, वर्ष 2017-20 की अवधि में देय किश्त की धनराशि (₹ 86.20 लाख), उद्दिष्ट लाभार्थियों के स्थान पर अन्य व्यक्तियों के खातों में हस्तांतरित हो गयी थी, परन्तु प्रकरण अनिर्णीत (अक्टूबर 2024) था। इसके अतिरिक्त, दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान के द्वारा वर्ष 2018-23 की अवधि में ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 50,771 प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षुओं को, ₹ 28.70 करोड़ की मजदूरी क्षतिपूर्ति का भुगतान अक्टूबर 2024 तक लंबित था।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत वर्ष 2016-23 के दौरान स्वीकृत 34.71 लाख आवासों में से, 20,215 (0.58 प्रतिशत) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण आवास मार्च 2025 तक अपूर्ण थे, जबकि स्वीकृति की तिथि से उनके पूर्ण होने की 12 माह की निर्धारित समय सीमा व्यतीत हो चुकी थी तथा लाभार्थियों को वित्तीय सहायता के रूप में ₹ 134.51 करोड़ की धनराशि निर्गत की जा चुकी थी। भूमिहीन लाभार्थी के प्रकरण में, राज्य को यह सुनिश्चित करना था कि लाभार्थी को शासकीय भूमि से अथवा सार्वजनिक भूमि सहित किसी अन्य भूमि से, आवास हेतु भूमि प्रदान की जाए। तथापि, राज्य सरकार द्वारा, राज्य में पहचाने गए एवं स्थायी प्रतीक्षा-सूची में सम्मिलित किये गए भूमिहीन लाभार्थियों की कुल संख्या का विवरण उपलब्ध नहीं कराया जा सका। इसके अतिरिक्त, नमूना-जाँच किए गए जनपदों में बैंकरों और अन्य ऋण देने वाली संस्थाओं के साथ बैठकें आयोजित करके, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण लाभार्थियों को बैंक ऋण सुविधा प्रदान करने के प्रयास अस्पष्ट थे।

गुणवत्तापूर्ण एवं दीर्घकालिक आवासों के निर्माण के महत्वपूर्ण प्रश्न का समाधान करने के लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने जलवायु परिस्थितियों, आपदा जोखिम कारकों, स्थानीय सामग्रियों और पारंपरिक कौशल पर आधारित आवास प्रतिकृतियों का एक संग्रह (पहल) प्रकाशित (नवंबर 2016) किया था। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशों (दिसंबर 2017) के अनुसार, यथासंभव 'पहल' की डिजाईन के आधार पर, जनपदों के प्रत्येक विकास खंड में डेमो हाउस का निर्माण किया जाना था। तथापि, सितंबर 2024 तक केवल 49 प्रतिशत विकास खण्डों में ही डेमो हाउस का निर्माण किया गया था, जबकि, राज्य सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की वार्षिक कार्य योजना 2018-19 के अनुसार, इसे सितंबर 2018 तक सभी विकास खण्डों में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया था। अग्रेतर, डेमो हाउस का निर्माण, संबंधित क्षेत्रों के लिए सुझायी गयी डिज़ाइनों के अनुसार नहीं किया गया था, जिससे डेमो हाउस के निर्माण का उद्देश्य विफल रहा। इस प्रकार, लाभार्थियों को डेमो हाउस का प्रदर्शन करके प्रधानमंत्री

आवास योजना-ग्रामीण के आवासों के निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के एक महत्वपूर्ण प्रयास को विभाग द्वारा प्राथमिकता नहीं दी गयी थी।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत पूर्ण हो चुके 2,079 आवासों के संयुक्त भौतिक सत्यापन में, सूचित किये गए 2,079 पूर्ण आवासों में से, 77 आवास (3.70 प्रतिशत) अपूर्ण पाये गये। अग्रेतर, 74 प्रतिशत आवासों की दीवारों पर प्लास्टर नहीं था; 54 प्रतिशत आवासों में स्वच्छ भोजन पकाने के लिए विशेष स्थान नहीं था; 58 प्रतिशत आवासों में स्नान करने का विशेष स्थान नहीं था; 44 प्रतिशत आवासों में उचित जल निकासी व्यवस्था नहीं थी, जिसके परिणामस्वरूप जलभराव एवं रहने की स्थिति अस्वाथ्यकारी थी, तथा 82 प्रतिशत आवासों में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का प्रतीक चिन्ह अंकित नहीं था।

विद्यमान योजनाओं के साथ अभिसरण कर, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत, मूलभूत सुविधाएँ प्रदान करने की परिकल्पना की गयी है जैसे, स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के अंतर्गत शौचालय निर्माण, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम या किसी अन्य योजना के अंतर्गत सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत विद्युत् संयोजन, खाना पकाने के लिए, स्वच्छ एवं अधिक कुशल ईंधन हेतु प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत एलपीजी संयोजन। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के 2,079 पूर्ण हो चुके आवासों के संयुक्त भौतिक सत्यापन में, अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण के माध्यम से शौचालय (29 प्रतिशत), रसोई गैस संयोजन (39 प्रतिशत), विद्युत संयोजन (30 प्रतिशत) तथा पाइप पेयजल संयोजन (89 प्रतिशत) जैसी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता में कमी पाई गयी थी।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में गुणवत्तापूर्ण निर्माण के क्रियान्वयन, अनुश्रवण और पर्यवेक्षण के लिए एक समर्पित राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई की स्थापना की परिकल्पना की गई थी। जनपद एवं विकास खंड स्तर के लिए भी इसी तरह के कार्यक्रम प्रबंधन इकाई की व्यवस्था की जानी थी। राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तर पर कार्यक्रम प्रबंधन इकाई का गठन किया गया था, तथापि, राज्य के 75 जनपदों में से, केवल पाँच जनपदों में ही कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के गठन की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। इस प्रकार, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण, योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त, योजना के दिशानिर्देशों में परिकल्पित जनपद एवं विकास खंड स्तर के अधिकारियों द्वारा निर्माण के दौरान, वांछित स्तर तक आवासों के निरीक्षण सुनिश्चित नहीं किए गए थे। वर्ष 2017-23 की

अवधि में, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की सामाजिक लेखापरीक्षा में उल्लिखित अधिकांश आपत्तियाँ (53 प्रतिशत), एक से छः वर्ष से अधिक की अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात भी अनिस्तारित थी।

कुछ प्रमुख अनुशंसायें

लेखापरीक्षा टिप्पणियों के आलोक में, राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि:

- *ऐसे सभी पात्र लाभार्थी जिन्हें स्थायी प्रतीक्षा-सूची से त्रुटिवश हटा दिया गया था, उन्हें स्थायी प्रतीक्षा-सूची में सम्मिलित कर योजना का लाभ प्रदान किया जाए।*
- *राज्य नोडल खाते में केन्द्रांश का हस्तांतरण निर्धारित समय-सीमा में किया जाए।*
- *प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क में सम्मिलित सभी गतिविधियों पर प्रशासनिक निधियों का उपभोग किया जाए।*
- *लाभार्थियों के सत्यापन में उचित सावधानी बरती जाए ताकि अपात्र लाभार्थियों को सहायता राशि निर्गत करने से बचा जा सके।*
- *संदिग्ध साइबर अपराध के प्रकरणों में सम्मिलित धनराशि की वसूली एवं उद्दिष्ट लाभार्थियों को देय धनराशि का भुगतान किया जाए।*
- *20,215 अपूर्ण आवासों को पूर्ण कराने के लिए सक्रिय अनुश्रवण किया जाए।*
- *प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के दिशानिर्देशों में उल्लिखित निर्दिष्ट सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के साथ पर्याप्त और प्रभावी समन्वय सुनिश्चित किया जाए ताकि आवासों में शौचालय, रसोई गैस संयोजन, विद्युत संयोजन, पाइप द्वारा पेयजल संयोजन जैसी सभी मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराई जा सके।*
- *योजना के अंतर्गत क्रियान्वयन, निगरानी और गुणवत्ता पर्यवेक्षण में सुधार हेतु जनपद एवं विकास खंड स्तर के अधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रतिशत के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण आवासों का निर्माण के दौरान निरीक्षण किया जाए।*
- *दिशानिर्देशों में निर्धारित आवधिकता के अनुसार सामाजिक लेखापरीक्षा सम्पादित की जाए तथा सामाजिक लेखापरीक्षा में उठाई गयी आपत्तियों का समयबद्ध तरीके से समाधान किया जाए।*
- *योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए जनपद एवं विकास खंड स्तरों पर समर्पित कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयों की शीघ्र स्थापना की जाए।*